*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–09/2018 16 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, दरभंगा।

पटना, दिनांक–04/10/18

विषयः– दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत हराही तालाब के जीर्णोद्धार योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाने एवं स्वीकृत राशि को कोषागार में जमा कराए जाने की स्थिति में पुनः वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक सुविधा मद से ₹105.40718 लाख (एक करोड़ पाँच लाख चालीस हजार सात सौ अठारह रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभागीय राज्यादेश सं०– 60, दिनांक– 08.02.2013 एवं आवंटनादेश सं०– 79, दिनांक– 08.02.2013 द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा रेलवे जंक्शन के नजदीक हराही पोखर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण हेतु ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की योजना स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण राशि आवंटित की गई थी। पुनः विभागीय शुद्धि पत्र ज्ञापांक– 361, दिनांक– 18.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) के विरूद्ध राशि ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) आवंटित की गई। दरभंगा नगर निगम द्वारा उक्त शुद्धि पत्र के आलोक में ₹50.00 लाख की निकासी संबंधित कोषागार से की गई तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। पुनः विभागीय पत्रांक– 4059, दिनांक– 18.12.2014 द्वारा योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति ₹112.287 लाख (एक करोड़ बारह लाख अठाईस हजार सात सौ रु०) पर प्रदान की गई।

2. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के पत्रांक– 5286, दिनांक– 19.12.2017 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त योजना के तकनीकी एवं वित्तीय बिड में सफल निविदाकार को विभागीय अधीक्षण अभियंता के पत्रांक– 741, दिनांक– 02.06.2017 द्वारा कार्य आवंटन पत्र निर्गत किया गया। संवेदक द्वारा एकरारनामा करने हेतु अग्रधन की राशि भी जमा कर दी गई। परन्तु इस बीच विभागीय पत्रांक– 4615, दिनांक– 19.07.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 तक प्राप्त राशि को कार्य नहीं होने की स्थिति में कोषागार में जमा कराने का निदेश प्राप्त हुआ जिसके आलोक में निकासी की गई ₹50.00 लाख कोषागार में जमा करा दी गई। चालान की प्रति उनके पत्रांक– 4753, दिनांक– 11.09.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

3. वर्णित स्थिति में दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 69 दिनांक– 04/10/18 के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 5 के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पूर्व में प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	निविदा के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	5
1	नगर निगम, दरभंगा	हराही पोखर के किनारे एक स्टेप घाट, पश्चिमी भाग में पथ के फ्लैंक, खुले जगह का विकास एवं नाला निर्माण कार्य।	112.287	105.40718	52.70359

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित कुल ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. आवंटित कुल राशि ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) *योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।*

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) योजना का कार्यान्वयन विभागीय मुख्य अभियंता के पत्रांक– 340, दिनांक– 16.02.2015 द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप कराया जाएगा।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–09/2018 16 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04/10/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–09/2018 69 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 04/10/18

विषयः– दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत हराही तालाब के जीर्णोद्धार योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाने एवं स्वीकृत राशि को कोषागार में जमा कराए जाने की स्थिति में पुनः वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक सुविधा मद से ₹105.40718 लाख (एक करोड़ पाँच लाख चालीस हजार सात सौ अठारह रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभागीय राज्यादेश सं०– 60, दिनांक– 08.02.2013 एवं आवंटनादेश सं०– 79, दिनांक– 08.02.2013 द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा रेलवे जंक्शन के नजदीक हराही पोखर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण हेतु ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की योजना स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण राशि आवंटित की गई थी। पुनः विभागीय शुद्धि पत्र ज्ञापांक– 361, दिनांक– 18.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) के विरूद्ध राशि ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) आवंटित की गई। दरभंगा नगर निगम द्वारा उक्त शुद्धि पत्र के आलोक में ₹50.00 लाख की निकासी संबंधित कोषागार से की गई तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। पुनः विभागीय पत्रांक– 4059, दिनांक– 18.12.2014 द्वारा योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति ₹112.287 लाख (एक करोड़ बारह लाख अठाईस हजार सात सौ रु०) पर प्रदान की गई।

2. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के पत्रांक– 5286, दिनांक– 19.12.2017 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त योजना के तकनीकी एवं वित्तीय बिड में सफल निविदाकार को विभागीय अधीक्षण अभियंता के पत्रांक– 741, दिनांक– 02.06.2017 द्वारा कार्य आवंटन पत्र निर्गत किया गया। संवेदक द्वारा एकरारनामा करने हेतु अग्रधन की राशि भी जमा कर दी गई। परन्तु इस बीच विभागीय पत्रांक– 4615, दिनांक– 19.07.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 तक प्राप्त राशि को कार्य नहीं होने की स्थिति में कोषागार में जमा कराने का निदेश प्राप्त हुआ जिसके आलोक में निकासी की गई ₹50.00 लाख कोषागार में जमा करा दी गई। चालान की प्रति उनके पत्रांक– 4753, दिनांक– 11.09.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

3. वर्णित स्थिति में दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत योजना को निम्न तालिका के स्तम्भ– 5 के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पूर्व में प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	निविदा के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	5
1	नगर निगम, दरभंगा	हराही पोखर के किनारे एक स्टेप घाट, पश्चिमी भाग में पथ के फ्लैंक, खुले जगह का विकास एवं नाला निर्माण कार्य।	112.287	105.40718	52.70359

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009-9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹52.70359 करोड़ (बावन लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) ***योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।***

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) योजना का कार्यान्वयन विभागीय मुख्य अभियंता के पत्रांक– 340, दिनांक– 16.02.2015 द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप कराया जाएगा।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०सु०–03–09/2018 के पृष्ठ सं०–08/टि० पर दिनांक–26.09.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–09/टि० पर दिनांक–01.10.18 को प्राप्त है ।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/मुख्य अभियंता, बुडा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–09/2018 69 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04/10/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/मुख्य अभियंता, बुडा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।